


फर्द डिक्री मुकदमात इनादाई
आर.रुल्स 6-7 जास्ता दीवानी



निर्णय इहजत्वास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला
कोटा

प्रकरण संख्या : 141/2021

तारीख दावरा 27.10.2021

उनवान

समावतार पुत्र श्री मुकुटबिहारी गोदपुत्र श्रीकृष्ण जाति भीणा निवासी ग्राम एकसपुरिया तहसील
सांगोद जिला कोटा।

-वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद।

- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955



उपस्थित :-

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)

दिनांक :- 28.10.2021

श्री सरकार पैरोकार

राज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी
श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मिन जानिब मुददायल पे 1 होकर आदे 1
दिया जाता है कि-

माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नंबर 422 रकबा 0.18
हेक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 1.91 हेक्टर कुल किता 2 की कुल 2.09 हेक्टर एवं माल ग्राम
साडियाखुर्द तहसील सांगोद के खसरा नंबर 532 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नंबर 533 रकबा 2.62
हेक्टर कुल किता 2 की कुल 2.63 हेक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "समावतार
पुत्र श्रीकृष्ण" अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन
भार यथावत रहेगा।



4

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद



(अंजना सहरावत)
 उपखण्ड अधिकारी सांगोद
 सांगोद जिला कोटा



निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
 उपखण्ड अधिकारी सांगोद
 सांगोद जिला कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '28/10/21' and various illegible signatures and stamps.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक - 2022/144

दिनांक- 5/1/22

वास्ते- पटवारी हलका श्वकसपुरिया

विषय- भि.न. 115/2021 इजराय की पालना बाबत।

उनवान- शमावतार | राज्य सरकार

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

दिनांक- 5/1/22

क्रमांक- /2022/144

तिलिपि-सूचनार्थ / पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद / नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना

रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा

115/21

क्रमांक / LR / 2023 / 504

दिनांक- 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र० सं०.....141/2021

उनवान.....समास्ता एड मुकुंद बिहारी / राज ठरकर जारी डिक्री दिनांक.

27/10/21 की पालना में ग्राम.....सांगोद.....में नामान्तरकरण सं.....1652.....

दिनांक.....8/2/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी

है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू० अभि०)

तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2076 - 2079

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 685

खाता संख्या पुराना :- 664

नाम :- सांगोद
हल्का :- सांगोद
नि. :- सांगोद
स. :- सांगोद
कोटा

कार का नाम:-
रामावतार पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा- पूर्ण जाति- मीना सा. रकसपुरया खातेदार
हिन (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Sangod,

ख. संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
0.1800	चाही तृतीय	0.1800	3.96		स्वीकृत नामांतरकरण : 1652 08/02/2022	न्याया. आदेश
1.9100	चाही तृतीय	1.9100	42.02		स्वीकृत नामांतरकरण : 1672 06/04/2022	रहतनामा
बसरे- 2	2.0900	2.0900	45.9800			

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

IC